55

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमाक 220-एक/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-02-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 187/अपील/2006-07

.....

1- रामलाल पटेल तनय श्री रामकृपाल पटेल
2- शिवप्रसाद पटेल तनय श्री पतल पटेल
3- सुरेश कुमार पटेल तनय श्री रामकृपाल पटेल
4- सान्ती देवी पत्नी श्री रामलाल पटेल
5- आशीष कुमार पटेल तनय नाबालिक सरपस्त वली श्री रामलाल पटेल तनय श्री रामकृपाल पटेल

निवासीगण- ग्राम बसेडा तहसील सिरमौर, जिला-रीवा (म.प्र.)

-----आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

1- रमेश कुमार पटेल तनय श्री रामकृपाल पटेल
2- रामकृपाल पटेल तनय श्री पतल पटेल
3- श्रीमती श्यामवती पटेल पत्नी रमेश कुमार पटेल
4- नीलम कुमार पटेल तनय श्री रमेश कुमार पटेल

निवासीगण- ग्राम बसेडा तहसील सिरमौर, जिला-रीवा (म.प्र.)

-----अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आई.पी. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

{ आज दिनांक 5/4/18 को पारित }

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 {जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा} की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 1 ने नायब तहसीलदार उप तहसील गंगेव के समक्ष ग्राम बसेड़ा स्थित आराजी नं. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, एवं 102 के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नायब तहसीलदार उप तहसील गंगेव ने विचारोपरांत दिनांक 07-06-2005 से बटवारा का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने अपने प्रकरणक्रमांक 122/अ-27/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2006 से अपील निरस्त की तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा । अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 187/अपील/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 13-02-2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसंगत मानकर स्थिर रखा तथा निगरानी निरस्त् की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने विचारण न्यायालय में विवादित भूमि का बटवारा

किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र दिया था, जिस पर विचारण न्यायालय ने आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इश्तहार जारी किया एवं आपत्ति मंगवाई किन्तु कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर पूर्व में हुये आपसी सहमति के आधार पर विचारोपरांत विधिवत बटवारा आदेश पारित किया था। आवेदक को विचारण न्यायालय से विधिवत सूचना जारी की गई थी और उपस्थित भी हुआ था, बाद में आवेदक अनुपस्थित हो गया । इसलिये यह नहीं माना जा सकता की आवेदक को उक्त बटवारे के संबंध में कोई जानकारीनहीं थी। चूँकि पूर्व में ही विवादित भूमि का बटवारा आपसी सहमति से हो चुका है ऐसी स्थिति में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 प्रभावशील होता है, जिससे प्राकृतिक न्याय का कोई हनन नहीं हुआ है, इसलिये विचारण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत आदेश है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर एवं अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना करने के पश्चात उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस.एस. अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर